न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, मधुबनी

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या : 2410 / 2022

सी0आर0 संख्या : 303 / 2021

अन्तर्गत धारा : 406, 420, 504, 506 / 34 भा0द0वि0

आदेश

17.01.2023 आवेदक अभियुक्तगण सुजीत कुमार यादव और संगीता कुमारी की तरफ से सी0 आर0 संख्या–303 / 2021 अन्तर्गत धारा–406, 420, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर 438 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई। अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र कुमार तथा राज्य की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र यादव को सुना।

सूचक लालबिहारी यादव के परिवाद पत्र के आधार पर घटना का सारांश यह है कि सुजीत कुमार यादव ने परिवादी से तीन लाख रूपया व्यवसाय के लिए छह महीना में वापस कर देने की शर्त पर लिया था। एवज में सुजीत कुमार यादव ने अपनी पत्नी संगीता कुमारी के नाम से विश्वास दिलाने के लिए तीन लाख रूपये का भारतीय स्टेट बैंक, रहिका शाखा का चेक दिया। छह माह बीतने के बाद सुजीत कुमार यादव ने पैसा वापस नहीं किया। टाल–मटोल करते रहे। दिनांक 12.10.2021 को भगवती उच्चैठ मंदिर के प्रागंण में पैसे की मांग करने पर आवेदक अभियुक्तगण तथा सह–अभियुक्त ने परिवादी को गाली दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। जैसा घटना का वर्णन किया गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है तथा परिवादी ने जमीन बेचने की बात कह कर तीन लाख रूपये का चेक लिया था लेकिन जमीन विवादित होने के कारण उन्होंने जमीन खरीदने से इनकार कर दिया। अतः उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–406, 420 बनती प्रतीत नहीं होती है तथा शेष धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवदेक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। प्राप्त वाद अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा–406, 420, 504, 506 / 34 के अन्तर्गत परिवाद पत्र के आधार पर सम्मन निर्गत किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण तथा परिवादी के बीच तीन लाख रूपये का

लगातार

लगातार
17.01.2023

लेन—देन व्यवसाय के लिए हुआ था। एवज में आवेदक अभियुक्तगण ने तीन लाख रूपये का चेक परिवादी को दिया था। लेकिन नियत समय बीत जाने के बाद भी आवेदक अभियुक्तगण ने परिवादी का पैसा वापस नहीं किया तथा पंचायत में पैसा मांगने पर परिवादी के साथ गाली—गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्को तथा वाद की परिस्थितियो के अवलोकनोपरान्त आवेदक अभियुक्तगण सुजीत कुमार यादव और संगीता कुमारी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण सुजीत कुमार यादव और संगीता कुमारी का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/—
(घनश्याम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
मधुबनी।
17.01.2023

कार्यालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवम्
मधुबनी।
ज्ञापांकः .....दिनांक
प्रतिलिपि— श्री अजीत कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बेनीपट्टी, मधुबनी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ निम्न न्यायालय अभिलेख संलग्न।

लेखापित

(घनश्याम सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
मधुबनी
17.01.2023